दिया गया है। बाकी बची हुई 11 खानों में खनन-क्रियाकलाप वर्तमान में जारी हैं। किन्तु, उनके बंद किए जाने के संबंध में निर्णय आगामी अवधि में कोल इंडिया लि० द्वारा लिया जाना है। ऐसी खानों के बंद किए जाने के परिणाम स्वरूप कामगारों को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। उनका अन्य कोलियरियों में वैकल्पिक रूप में (दोनों विद्यमान एवं नई परियोजनाओं में) पुनः नियोजन किया जाएगा। जहां भी आवश्यकता होगी, उनके उन्नयन/बदली हुई कार्य-कुशलता में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जब भी शुरू की जाएगी, उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

"पिट" सुरक्षा समिति

6240. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चूर्चा कोयला खान में सुरक्षा हेतु कोई "पिट" सुरक्षा समिति गठित की है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति कार्यरत है;

(ग) क्या समिति द्वारा दिए गए सुझावों को प्रबंधन तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; और

(घ) खानों के अंदर कार्यरत व्यक्तियों को सुरक्षा हेतु जो वस्तुएं दी जाती हैं, उनका ब्यौरा क्या है, ये वस्तुएं कितनी अवधि के अन्तराल पर दी जाती हैं, उनकी खरीद कहां से की जाती है और उनकी टिकाऊपन की अवधि क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की चूर्चा कोलियरी में एक 16 सदस्यीय पिट सुरक्षा समिति जिसमें मजदूर संघों अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के रूप में नामित करके गठन किया गया है। सामान्यतः यह समिति प्रत्येक माह की 25 तारीख को अपनी बैठक करती है। समिति की बैठक के दिन के उस दिन (पूर्वाह्न) में सभी सदस्यों द्वारा जिलों का दौरा किया जाता है। जबकि (अप०) में निरीक्षण पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा पिछली बैठक की पुनरीक्षा के अलावा दुर्घटनाओं से संबंधित विश्लेषण भी किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) भूमि के भीतर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा हैलमैट तथा सुरक्षा जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। कोयला कंपनियां भी पर्यवेक्षकों के लिए तथा खान के दूरस्थ इलाके में कार्यरत व्यक्तियों के लिए स्व-बचाव यंत्र उपलब्ध कराती हैं। भूमि के भीतर काम करने वाले सभी व्यक्तियों को स्व-बचाव यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए खरीद संबंधी कार्रवाई पहले ही कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, दूसरे उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, वैल्डिंग तथा ग्राइन्डिन चश्मे, धूल मास्क, सुरक्षा बैल्ट, फ्लैम सुरक्षा लैम्प, मैथानोमीटर, आदि को उनके काम की प्रवृत्ति के अनुसार जारी किए जाते हैं।

सुरक्षा हैलमैट 3 वर्ष के अन्तराल में दिए जाते हैं जबकि सुरक्षा जूते सांविधिक निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छः माह के अन्तराल में जारी किए जाते हैं। अन्य उपकरण आवश्यकतानुसार जारी की जाती हैं।

सुरक्षा जूते, सुरक्षा हैलमैट, स्व-बचाव यंत्र मैथानोमीटर, सुरक्षा लैम्प आदि को सुरक्षा महानिदेशक के अनुमोदन तथा आई० एस० आई० के उपयुक्त मानदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् ही खरीद की जाती हैं। अन्य छोटे-छोटे उपकरण जैसे हाथ

के दस्ताने, चश्मे, आदि की खरीद संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद खरीद की जाती है।

संयोजना और प्रायोजना के आधार पर कोयले का आवंटन

6241. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का आवंटन संयोजना और प्रायोजना के आधार पर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के आधार और स्वरूप क्या हैं और उक्त आधार के मानदंड क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में गड़-बड़ी करने में कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) व्यक्तिगत रूप में उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा के संबंध में निर्णय वॉयलरों के विशिष्ट पैरामीटरों तथा अन्य उपकरणों के आधार पर लिया जाता है और तदनुसार संयोजन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपयुक्त स्रोतों से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। कोयले के आवंटन/प्रेषण, आदि में अनियमितताओं की शिकायतें, जब कभी प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कि शिकायतें सिद्ध हो जाती है, उन मामलों में कार्रवाई की जाती है; जिसमें विभागीय कार्रवाई/अभियोजन शामिल है। इस संबंध में कोल इंडिया लि० के सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई अनंतिम सूचना के अनुसार दो मामले अभियोजन के अधीन थे, जबकि 16 मामले सूचना प्रस्तुत करते समय कोयले की बिक्री से सम्बद्ध अनियमितताओं के बारे में नियमित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत लम्बित पड़े थे।

कोयला धोवनशालाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना

6242. **श्री राम अठमलानी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आकृष्ट करने के लिए कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धोवनशालाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने इन धोवनशालाओं की स्थापना हेतु सरकार से अपनी पेशकश की है और

(घ) यदि हां, तो देश में कितनी धोवनशालाएं स्थापित की जाएंगी, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, उनमें कितना निवेश किया जाएगा और कब तक इनकी स्थापना किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) अपने स्वामित्व वाली कोयला वाशरियों बनाओ और चलाओ के आधार पर कोल इंडिया लि. (को०इं०लि०) ने चुनिन्दा स्थानों पर वाशरियों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है। को० इं० लि० द्वारा मांगी गई निविदाओं के प्रत्युत्तर में 42 कंपनियों ने इस स्कीम के अंतर्गत अपने पूर्व-अर्हक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। को०इं०लि० कच्चे कोयला मुहैया कराएगा और धुलाई के खर्च की अदायगी करेगा। वे वाशरियों के लिए अपेक्षित पट्टेदारी भूमि तथा